राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के द्वारा ई–मित्र कियोस्क आई.डी. काम में लेने से विभिन्न गड़बडियां होने की संभावना होने के कारण विभागीय यू.ओ. नोट राजकाज रेफरेस नंबर 15789823 दिनांक 09.06.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **JAI SHIV PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, (PU08000933) BHARATPUR** को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

छात्रवृत्ति पोर्टल में कियोस्क आई.डी. का उपयोग करने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा Scholarship/2023-24/6268480 (YEAR 1), Scholarship/2023-24/6258334 (YEAR 2) विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन **Forward** करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

RajKaj Ref No.: 22992922

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:36:10 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–"शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया" के उप बिन्दु 5.18 के अनुसार गंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी की आईडी के संबंध में उत्तर मैट्रिक **छात्रवृत्ति की मानक संचालन प्रक्रिया 2023 तथा 2024 के बिंदु संख्या 3.3 व 3.9** निम्नानुसार है :–

"3.3 छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी जो कि संस्था प्रभारी के आधार से Linked होगी। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा केवल AISHE code के माध्यम से ही ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा।

3.9 संस्थान के स्तर पर छात्रवृत्ति कार्य सम्पादन हेतु छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी की नियुक्ति संस्था द्वारा की जावेगी जिसका आधार सहित अन्य विवरण भी पोर्टल पर पंजीयन के समय इन्द्राज किया जावेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2023 को मानक संचालन प्रक्रिया 2023 जारी होने के पश्चात् संस्थान के द्वारा कियोस्क आईडी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था अपितु संस्था प्रभारी के आधार से लिंक्ड एसएसओ आईडी का प्रयोग किया जाना चाहिए था।"

शिक्षण संस्थान **JAI SHIV PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BHARATPUR (PU08000933)** द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सा.न्या.अ.वि. शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सा.न्या.अ.वि. शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सा.न्या.अ.वि., राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आदेश वेबवाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... (समस्त) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संस्था प्रधान .....।
7. रक्षित पत्रावली

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 22992922

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:36:10 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के द्वारा ई-मित्र कियोस्क आई.डी. काम में लेने से विभिन्न गड़बडियां होने की संभावना होने के कारण विभागीय यू.ओ. नोट राजकाज रेफरेस नंबर 15789823 दिनांक 09.06.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **SHREE VINAYAK PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000711), DAUSA** को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

छात्रवृत्ति पोर्टल में कियोस्क आई.डी. का उपयोग करने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई-मेल के जरिए निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन-पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र यथा Scholarship/2022-23/5118855 (SEMESTER 3) विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा-निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः-

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन **Forward** करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25-25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर-बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल-कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5-"शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया" के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः-

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – "इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली-भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।"

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप-अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

RajKaj Ref No.: 22992922

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:36:10 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–"शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया" के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी की आईडी के संबंध में उत्तर मैट्रिक **छात्रवृत्ति की मानक संचालन प्रक्रिया 2023 तथा 2024 के बिंदु संख्या 3.3 व 3.9** निम्नानुसार है :–

"3.3 छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी जो कि संस्था प्रभारी के आधार से Linked होगी। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा केवल AISHE code के माध्यम से ही ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा।

3.9 संस्थान के स्तर पर छात्रवृत्ति कार्य सम्पादन हेतु छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी की नियुक्ति संस्था द्वारा की जावेगी जिसका आधार सहित अन्य विवरण भी पोर्टल पर पंजीयन के समय इन्द्राज किया जावेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2023 को मानक संचालन प्रक्रिया 2023 जारी होने के पश्चात् संस्थान के द्वारा कियोस्क आईडी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था अपितु संस्था प्रभारी के आधार से लिंक्ड एसएसओ आईडी का प्रयोग किया जाना चाहिए था।"

शिक्षण संस्थान **SHREE VINAYAK PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000711), DAUSA** द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आदेश वेबवाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... (समस्त) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संस्था प्रधान .....
7. रक्षित पत्रावली

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 22992922

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:36:10 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के द्वारा ई-मित्र कियोस्क आई.डी. काम में लेने से विभिन्न गड़बडियां होने की संभावना होने के कारण विभागीय यू.ओ. नोट राजकाज रेफरेस नंबर 15789823 दिनांक 09.06.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **NEW YASHODA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000240), DAUSA** को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

छात्रवृत्ति पोर्टल में कियोस्क आई.डी. का उपयोग करने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई-मेल के जरिए निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन-पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र यथा Scholarship/2022-23/5461908 (Semester 2), Scholarship/2022-23/5407107 (Semester 2) विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा-निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः-

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन **Forward** करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25-25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर-बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल-कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5-''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः-

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली-भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप-अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा-निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा

RajKaj Ref No.: 22992922

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:36:10 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–"शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया" के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी की आईडी के संबंध में उत्तर मैट्रिक **छात्रवृत्ति की मानक संचालन प्रक्रिया 2023 तथा 2024 के बिंदु संख्या 3.3 व 3.9** निम्नानुसार है :–

"3.3 छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी जो कि संस्था प्रभारी के आधार से Linked होगी। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा केवल AISHE code के माध्यम से ही ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा।

3.9 संस्थान के स्तर पर छात्रवृत्ति कार्य सम्पादन हेतु छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी की नियुक्ति संस्था द्वारा की जावेगी जिसका आधार सहित अन्य विवरण भी पोर्टल पर पंजीयन के समय इन्द्राज किया जावेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2023 को मानक संचालन प्रक्रिया 2023 जारी होने के पश्चात् संस्थान के द्वारा कियोस्क आईडी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था अपितु संस्था प्रभारी के आधार से लिंक्ड एसएसओ आईडी का प्रयोग किया जाना चाहिए था।"

शिक्षण संस्थान **NEW YASHODA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000240), DAUSA** द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सा.न्या.अ.वि., शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सा.न्या.अ.वि., शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सा.न्या.अ.वि., राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आदेश वेबवाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... (समस्त) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संस्था प्रधान .....।
7. रक्षित पत्रावली

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 22992922

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:36:10 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के द्वारा ई–मित्र कियोस्क आई.डी. काम में लेने से विभिन्न गड़बडियां होने की संभावना होने के कारण विभागीय यू.ओ. नोट राजकाज रेफरेस नंबर 15789823 दिनांक 09.06.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **VIVEKANAND PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000459), DAUSA** को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

छात्रवृत्ति पोर्टल में कियोस्क आई.डी. का उपयोग करने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा Scholarship/2023-24/6243099 (YEAR 2), Scholarship/2023-24/6242104 (YEAR विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन **Forward** करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

RajKaj Ref No.: 22992922

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:36:10 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–"शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया" के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी की आईडी के संबंध में उत्तर मैट्रिक **छात्रवृत्ति की मानक संचालन प्रक्रिया 2023 तथा 2024 के बिंदु संख्या 3.3 व 3.9** निम्नानुसार है :–

"3.3 छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी जो कि संस्था प्रभारी के आधार से Linked होगी। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा केवल AISHE code के माध्यम से ही ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा।

3.9 संस्थान के स्तर पर छात्रवृत्ति कार्य सम्पादन हेतु छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी की नियुक्ति संस्था द्वारा की जावेगी जिसका आधार सहित अन्य विवरण भी पोर्टल पर पंजीयन के समय इन्द्राज किया जावेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2023 को मानक संचालन प्रक्रिया 2023 जारी होने के पश्चात् संस्थान के द्वारा कियोस्क आईडी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था अपितु संस्था प्रभारी के आधार से लिंक्ड एसएसओ आईडी का प्रयोग किया जाना चाहिए था।"

शिक्षण संस्थान **VIVEKANAND PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000459), DAUSA** द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सा.न्या.अ.वि., शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सा.न्या.अ.वि., शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सा.न्या.अ.वि., राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आदेश वेबवाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... (समस्त) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संस्था प्रधान .....।
7. रक्षित पत्रावली

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 22992922

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:36:10 IST

v-1.0